न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 56 / 2023 तारीख रजू 22.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

गणपत लाल शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) मैसर्स गणेश नमकीन भण्डार, गणेश मन्दिर के सामने, बजरिया सवाई माधोपुर निवासी आकाशवाणी के सामने महाराणा प्रताप कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक **24.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 01.02.2023 को सांय 03.00 पी.एम. पर मैसर्स गणेश नमकीन भण्डार, गणेश मन्दिर के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर गणपत लाल शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा (मौके पर विक्रेता) निवासी आकाशवाणी के सामने महाराणा प्रताप कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर मिला। उसे आवेदक ने अपना परिचय दिया तथा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन मांगा जो उसने पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित) रखी हुई थी। जिसमें से एक व्यक्ति को बेचान कर रहा था। नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित) में गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच रखी हुई नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित) में से 2 किलोग्राम नमकीन खरीदकर उसकी कीमत 500 / – रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान राजेश प्रजापत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम नमकीन (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित) को प्रत्येक डिब्बे में 500–500 ग्राम डालकर 40–40 बूंदे फॉरमेलीन की डाली एवं डिब्बों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2593** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं.

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

H-2593 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गणपत लाल शर्मा (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति गणपत लाल शर्मा (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/266–69 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/213/एक्ट/2023/280 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित) Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food products Standards and Food Additives) Regulations, 2011** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड **नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये तथा अभियुक्त द्वारा प्रकरण में बिना जवाब पेश किये सीधे बहस कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड **नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानंक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से नमकीन का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/213/एक्ट/2023/280 दिनांक 08.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ नमकीन (मूंगफली के तेल से निर्मित)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/-रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **24.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर